प्रेषक,

महानिदेशक,

विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

सेवा में,

1– समस्त, मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

2– समस्त, डायट प्राचार्य उत्तराखण्ड।

पत्रांक– एस0सी0ई0आर0टी0 / वै0आ0कै0 / पाठ्यक्रम (मेमो) / 2020–21 / दिनांक 27 अप्रैल 2020

विषय– COVID -19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप विद्यार्थियों की शिक्षा को घर पर रह कर ही गतिमान बनाए रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि सर्वविदित है कि COVID -19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप प्रदेश एवं देश के समस्त विद्यालय बंद हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के सम्मुख विद्यार्थियों की शिक्षा एवं सीखने की प्रकिया को जारी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर्वव्यापी लॉक डाउन के फलस्वरूप बच्चे घर पर ही रहकर अपनी शैक्षिक गतिविधियों को रूचिकर बनाते हुए अपनी शिक्षा को सतत बनाये रखें, इस पर सभी अभिभावकों, शिक्षकों तथा शैक्षिक अभिकर्मियों को कक्षा–कक्षों से इतर सिखाने के वैकल्पिक माध्यमों व साधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए रणनीति बनानी होगी। यह रणनीति ऐसी हो कि बच्चे लॉक डाउन की अवधि में पाठ्यक्रम को बोझ न समझते हुए घर पर ही अभिभावकों तथा शिक्षकों के साथ दूरसंचार तथा सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का उपयोग कर रूचिकर गतिविधियों द्वारा अपनी सीखने की प्रक्रिया को जारी रख सकें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशन में एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर चार सप्ताह का वैकल्पिक अकादमिक कैलेन्डर तैयार किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में भी एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू है, तथा इसी के अनुरूप विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस वैकल्पिक अकादमिक कैलेन्डर को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किया जाय। इस हेतु एक राज्य स्तर से विद्यालय स्तर तक निम्नवत् कार्य योजना तैयार की गई है।

राज्य स्तर–

1– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, एस0सी0ई0आर0टी0 एवं विषय विशेषज्ञों के माध्यम से एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा तैयार वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर का अध्ययन करवाकर इसे प्रदेश के परिपेक्ष में परिमार्जित कर समस्त जनपदों को प्रेषित करेंगे।

2– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण प्रति सप्ताह वी0सी0, वाट्सऐप, फोन आदि संचार माध्यमों के द्वारा प्राचार्य डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वार्ता कर कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।

3– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सभी प्राचार्य डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को एस0सी0ई0आर0टी0 के माध्यम से वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर के कियान्वयन हेतु विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा अभिमुखीकरण करेंगे।

4– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण समय–समय पर एन0सी0ई0आर0टी0 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समन्वयन करते हुए भविष्य में किये जा रहे प्रयासों को राज्य स्तर पर लागू करवायेंगे।

जनपद स्तर–

1– समस्त प्राचार्य डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जनपद में अलग–अलग विषयों के विषय विशेषज्ञों का संदर्भ समूह तैयार करेंगे व राज्य स्तर से प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर व अन्य गतिविधियों का विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर तक कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

2– समस्त प्राचार्य डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी अपने जनपद के खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारियों का वाट्सऐप ग्रुप तथा ई–मेल ग्रुप तैयार कर राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं सामग्री को उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

3– समस्त जनपदीय अधिकारी प्रति सप्ताह वी0सी0, वाट्सऐप, फोन आदि संचार माध्यमों के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारियों को राज्य स्तर से प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर व अन्य गतिविधियों के प्रति अभिमुखीकृत भी करेंगे ताकि कार्यक्रम का विद्यालय स्तर तक समुचित कियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

4– समस्त डायट प्राचार्य एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रति सप्ताह विकास खण्ड अधिकारियों के साथ वी0सी0 अथवा अन्य संचार माध्यमों के द्वारा समीक्षा कर प्रगति निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण को प्रेषित करेंगे व इसका अभिलेखीकरण भी करेंगे।

विकास खण्ड स्तर–

1– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में 5 से 8 अलग–अलग विषयों के विशेषज्ञों का संदर्भ समूह तैयार करें इन शिक्षकों/विद्यालय प्रमुखों को सुलभ कर्ता शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। प्रत्येक सुलभ कर्ता शिक्षक अपने क्षेत्र/संकुल के शिक्षकों/ विद्यालय प्रमुखों का वाट्सऐप ग्रुप, ई–मेल ग्रुप आदि समूह तैयार कर जनपद स्तर से प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर एवं समय–समय पर प्राप्त शैक्षिक सामग्री को शिक्षकों / विद्यालय प्रमुखों तक पहुंचाएगे।

2– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में संचालित कार्यक्रम की प्रगति दैनिक रूप से दूरसंचार एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त करते रहेंगे।

3– सुलभ कर्ता शिक्षक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं का भी अपने स्तर से निदान करेंगे अथवा उन्हे जनपद स्तर पर प्रेषित करेंगे।

4– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर संचालित गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट ई–मेल/वट्सऐप अथवा अन्य संचार माध्यमों से जनपद को प्रेषित करेंगे।

विद्यालय/शिक्षक–

1– प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यार्थियों, सेवित क्षेत्र के अभिभावकों, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों, पी0टी0ए0 तथा जन प्रतिनिधियों से दूरसंचार, ई–मेल/वट्सऐप अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएगे।

2– प्रत्येक शिक्षक अपने सन्दर्भ शिक्षक अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर तथा समय–समय पर प्राप्त शैक्षिक सामग्री का स्वयं अध्ययन कर अपने विद्यार्थियों/अभिभावकों तथा अन्य हित धारकों को ई–मेल/वट्सऐप अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराएगे।

3– प्रतिदिन जहां तक संभव हो बच्चों तथा अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर बच्चों द्वारा किये जा रहे प्रगति व इस कार्य में बच्चों को आ रही कठिनाइयों के बारे में दूरसंचार, ई–मेल/वाट्सऐप अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे व उन्हे इस सम्बन्ध में अपना सहयोग भी प्रदान करेंगे।

4– यह ध्यान रखा जाय कि यह वैकल्पिक कैलेण्डर बच्चों को किसी भी तरह बोझ न लगे और न ही इसे क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में बच्चों अथवा अभिभावकों पर किसी प्रकार का दबाब न पड़े अपितु बच्चे इसे रूचिकर रूप में लेते हुए अपने सीखने की प्रक्रिया को सतत बनाये रखें।

5– अध्यापक अपने स्तर से यदि कोई रूचिकर गतिविधि बच्चों को उपलब्ध कराना चाहें तो वे वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर में दिये गये लर्निंग आउटकम के अनुरुप ही हों व इसे उच्च स्तर पर भी शेयर आवश्य किया जाय।

6– यद्यपि अभी कक्षा 6 से बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ है तथापि सेवित स्कूलों से जहां कक्षा 5 से उत्तीर्ण बच्चों द्वारा प्रवेश लिया जाना है उस विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाचार्य एवं शिक्षक सम्भावित विद्यार्थियों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करें तथा उन्हे वैकल्पिक अकादमिक कैलेन्डर योजना से जोड़े, इस प्रकार उन बच्चों का शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित भी किया जा सकता है।

7– यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का भी निरन्तर संज्ञान लेता रहे इस हेतु शिक्षक इसका अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं।

उक्त कार्य योजना का सभी स्तरों पर कियान्वयन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय। वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर को एजुकेशन पोर्टल, एस0सी0ई0आर0टी0 एवं सीमेट

की वैबसाईट तथा जनपद एवं डायट अपनी वैबसाईटों पर अपलोड करेंगे। आशय यह है कि इसकी प्रत्येक विद्यार्थी एवं शिक्षक तक पहुंच सुनिश्चित हो।

भवदीय

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं– एस0सी0ई0आर0टी0 / वै0आ0कै0 / / 2020–21 / दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2– निदेशक, प्रा0शि0 / मा0शि0 / अकादमिक, उत्तराखण्ड।
3– अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
4– अपर निदेशक, मा0शि0 / प्रा0शि0 / एस0सी0ई0आर0टी0 / सीमेट उत्तराखण्ड।
5– अपर निदेशक, मा0शि0 / प्रा0शि0 गढवाल / कुमायूं मण्डल उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मा0शि0 / प्रा0शि0 समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
7– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी / उप खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने ब्लॉक के अन्तर्गत उक्त कार्यवाही को सुनियोजित रूप से सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

सेवा में,

1– समस्त, मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

2– समस्त, डायट प्राचार्य उत्तराखण्ड।

पत्रांक– एस0सी0ई0आर0टी0 / वै0आ0कै0 / / 2020–21 / दिनांक अप्रैल 2020

विषय– COVID -19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप विद्यार्थियों की शिक्षा को घर पर रह कर ही गतिमान बनाए रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि सर्वविदित है कि COVID -19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप प्रदेश एवं देश के समस्त विद्यालय बंद हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के सम्मुख विद्यार्थियों की शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सर्वव्यापी लॉक डाउन के फलस्वरूप बच्चे घर पर ही रहकर अपनी शैक्षिक गतिविधियों को रूचिकर बनाते हुए अपनी शिक्षा को सतत बनाये रखें, इस पर सभी अभिभावकों, शिक्षकों तथा शैक्षिक अभिकर्मियों को कक्षा–कक्षों से इतर सिखाने के वैकल्पिक माध्यमों व साधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए रणनीति बनानी होगी। यह रणनीति ऐसी हो कि बच्चे लॉक डाउन की अवधि में पाठ्यक्रम को बोझ न समझते हुए घर पर ही अभिभावकों तथा शिक्षकों के साथ दूरसंचार तथा सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का उपयोग कर रूचिकर गतिविधियों द्वारा अपनी सीखने की प्रक्रिया को जारी रख सकें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशन में एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर चार सप्ताह का वैकल्पिक अकादमिक कैलेन्डर तैयार किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में भी एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू है, तथा इसी के अनुरूप विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस वैकल्पिक अकादमिक कैलेन्डर को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किया जाय। इस हेतु एक राज्य स्तर से विद्यालय स्तर तक निम्नवत् कार्य योजना तैयार की गई है।

राज्य स्तर–

1– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, एस0सी0ई0आर0टी0 एवं विषय विशेषज्ञों के माध्यम से एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा तैयार वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर का अध्ययन करवाकर इसे प्रदेश के परिपेक्ष में परिमार्जित कर समस्त जनपदों को प्रेषित करेंगे।

2– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण प्रति सप्ताह वी0सी0, वाट्सऐप, फोन आदि संचार माध्यमों के द्वारा प्राचार्य डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वार्ता कर कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।

3– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सभी प्राचार्य डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को एस0सी0ई0आर0टी0 के माध्यम से वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर के कियान्वयन हेतु विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा अभिमुखीकरण करेंगे।

4– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण समय–समय पर एन0सी0ई0आर0टी0 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समन्वयन करते हुए भविष्य में किये जा रहे प्रयासों को राज्य स्तर पर लागू करवायेंगे।

जनपद स्तर–

1– समस्त प्राचार्य डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जनपद में अलग–अलग विषयों के विषय विशेषज्ञों का संदर्भ समूह तैयार करेंगे व राज्य स्तर से प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर व अन्य गतिविधियों का विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर तक कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

2– समस्त प्राचार्य डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी अपने जनपद के खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारियों का वाट्सऐप ग्रुप तथा ई–मेल ग्रुप तैयार कर राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं सामग्री को उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

3– समस्त जनपदीय अधिकारी प्रति सप्ताह वी0सी0, वाट्सऐप, फोन आदि संचार माध्यमों के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारियों को राज्य स्तर से प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर व अन्य गतिविधियों के प्रति अभिमुखीकृत भी करेंगे ताकि कार्यक्रम का विद्यालय स्तर तक समुचित कियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

4– समस्त डायट प्राचार्य एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रति सप्ताह विकास खण्ड अधिकारियों के साथ वी0सी0 अथवा अन्य संचार माध्यमों के द्वारा समीक्षा कर प्रगति निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण को प्रेषित करेंगे व इसका अभिलेखीकरण भी करेंगे।

विकास खण्ड स्तर–

1– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में 5 से 8 अलग–अलग विषयों के विशेषज्ञों का संदर्भ समूह तैयार करें इन शिक्षकों/विद्यालय प्रमुखों को सुलभ कर्ता शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। प्रत्येक सुलभ कर्ता शिक्षक अपने क्षेत्र/संकुल के शिक्षकों/ विद्यालय प्रमुखों का वाट्सऐप ग्रुप, ई–मेल ग्रुप आदि समूह तैयार कर जनपद स्तर से प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर एवं समय–समय पर प्राप्त शैक्षिक सामग्री को शिक्षकों / विद्यालय प्रमुखों तक पहुंचाएगे।

2– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में संचालित कार्यक्रम की प्रगति दैनिक रूप से दूरसंचार एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त करते रहेंगे।

3– सुलभ कर्ता शिक्षक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं का भी अपने स्तर से निदान करेंगे अथवा उन्हे जनपद स्तर पर प्रेषित करेंगे।

4– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर संचालित गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट ई–मेल/वट्सऐप अथवा अन्य संचार माध्यमों से जनपद को प्रेषित करेंगे।

विद्यालय/शिक्षक–

1– प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यार्थियों, सेवित क्षेत्र के अभिभावकों, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों, पी0टी0ए0 तथा जन प्रतिनिधियों से दूरसंचार, ई–मेल/वट्सऐप अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएगे।

2– प्रत्येक शिक्षक अपने सन्दर्भ शिक्षक अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर तथा समय–समय पर प्राप्त शैक्षिक सामग्री का स्वयं अध्ययन कर अपने विद्यार्थियों/अभिभावकों तथा अन्य हित धारकों को ई–मेल/वट्सऐप अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराएगे।

3– प्रतिदिन जहां तक संभव हो बच्चों तथा अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर बच्चों द्वारा किये जा रहे प्रगति व इस कार्य में बच्चों को आ रही कठिनाइयों के बारे में दूरसंचार, ई–मेल/वाट्सऐप अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे व उन्हे इस सम्बन्ध में अपना सहयोग भी प्रदान करेंगे।

4– यह ध्यान रखा जाय कि यह वैकल्पिक कैलेण्डर बच्चों को किसी भी तरह बोझ न लगे और न ही इसे कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में बच्चों अथवा अभिभावकों पर किसी प्रकार का दबाब न पड़े अपितु बच्चे इसे रूचिकर रूप में लेते हुए अपने सीखने की प्रक्रिया को सतत बनाये रखें।

5– अध्यापक अपने स्तर से यदि कोई रूचिकर गतिविधि बच्चों को उपलब्ध कराना चाहें तो वे वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर में दिये गये लर्निंग आउटकम के अनुरूप ही हों व इसे उच्च स्तर पर भी शेयर आवश्य किया जाय।

6– यद्यपि अभी कक्षा 6 से बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ है तथापि सेवित स्कूलों से जहां कक्षा 5 से उत्तीर्ण बच्चों द्वारा प्रवेश लिया जाना है उस विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाचार्य एवं शिक्षक सम्भावित विद्यार्थियों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करें तथा उन्हे वैकल्पिक अकादमिक कैलेन्डर योजना से जोड़े, इस प्रकार उन बच्चों का शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित भी किया जा सकता है।

7– यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का भी निरन्तर संज्ञान लेता रहे इस हेतु शिक्षक इसका अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं।

उक्त कार्य योजना का सभी स्तरों पर क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय। वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर को एजुकेशन पोर्टल, एस0सी0ई0आर0टी0 एवं सीमेट की वैबसाईट तथा जनपद एवं डायट अपनी वैबसाईटों पर अपलोड करेंगे। आशय यह है कि इसकी प्रत्येक विद्यार्थी एवं शिक्षक तक पहुंच सुनिश्चित हो।

भवदीय

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ0सं– एस0सी0ई0आर0टी0 / वै0आ0कै0 / / 2020–21 / दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2– निदेशक, प्रा0शि0 / मा0शि0 / अकादमिक, उत्तराखण्ड।
3– अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
4– अपर निदेशक, मा0शि0 / प्रा0शि0 / एस0सी0ई0आर0टी0 / सीमेट उत्तराखण्ड।
5– अपर निदेशक, मा0शि0 / प्रा0शि0 गढवाल / कुमायूं मण्डल उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मा0शि0 / प्रा0शि0 समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
7– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी / उप खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने ब्लॉक के अन्तर्गत उक्त कार्यवाही को सुनियोजित रूप से सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड